विचार बिन्दु

जिसे होश है वह कभी घमंड नहीं करता। –कहावत

जनमानस में फिर प्रतिष्ठित की जा रही रियासती उपाधियां

भारत के संविधान को अंगीकार किए जाने के साथ ही भारत में राजाओं, महाराजाओं और नवाबों का औपचारिक युग समाप्त हो गया। देश के सभी नागरिक समान हो गये। संविधान की प्रस्तावना में निहित समता का सिद्धांत केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक संकल्प था। इस संकल्प का अर्थ था कि जन्म, वंश या उपाधि के आधार पर कोई भी व्यक्ति विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। फिर भी सात दशकों बाद यदि किसी को हिज़ हाईनेस द महाराज ऑफ... सम्बोधन के साथ सार्वजनिक रूप से स्थापित किया जाता है वह केवल एक संबोधन नहीं, बल्कि संवैधानिक चेतना पर प्रहार होता है। आजादी के बाद भारत ने न केवल ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति पाई, बल्कि देशी रियासतों के सामंती ढांचे को भी समाप्त किया। राजस्थान में यह संघर्ष विशेष रूप से कठिन और निर्णायक रहा। किसानों, प्रजामंडल आंदोलनों, समाज सुधारकों और स्वतंत्रता सेनानियों ने राजपूताना की रियासतों में शोषण, बेगार, और लाग-बाग जैसे अत्याचारों के खिलाफ लबा संघर्ष किया। ऐसे में आज उसी भूमि पर महाराजा की औपचारिक वापसी उस पीढ़ी के संघर्षों को बिसराना भी है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बैंच को कुछ महीनों पूर्व आदेश देना पड़ा था कि 'महाराजा, राजा, राजकुमार, नवाब, प्रिंसेस' आदि शाही उपाधियों का प्रयोग नहीं किया जाए। अदालत के समक्ष एक पक्षकार ने अपने नाम के साथमहाराजा, राजकुमार, हिज हाइनेस जैसी उपाधियों का प्रयोग किया था जिसे न्यायालय ने संविधान की भावना के विरुद्ध मानते हुए स्वत: संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि महाराजा कोई नाम नहीं, एक समाप्त हो चुकी सामंती उपाधि है। लेकिन जब इसका सार्वजनिक प्रदर्शन होने लगे तब उनके पीछे के आशय पर सवाल उठने लाजिमी है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यह संबोधन सांस्कृतिक या पारिवारिक पहचान से जुड़ा है, संवैधानिक अधिकार से नहीं। लेकिन भाषा कभी निष्पक्ष नहीं होती। भाषा सत्ता का निर्माण करती है। जब किसी को हिज हाइनेस कहा जाता है, तो उसके सामने खड़ा व्यक्ति स्वत: मामूली बन जाता है। यह संबोधन बराबरी के भाव को तोड़ता है और सामाजिक पदानुक्रम को पुनर्जीवित करता है। लोकतंत्र केवल वोट डालने का नाम नहीं है; वह रोजमर्रा की भाषा, व्यवहार और प्रतीकों में भी जीता है। विडंबना यह है कि खुली अर्थव्यवस्था के साथ आई तथाकथित 'अंग्रेजियत' ने इस सामंती पुनरुत्थान को नया आवरण दे दिया है। एयर इंडिया का महाराजा 'लोगो' कभी मुस्कराते हुए झुक कर यात्रियों का स्वागत करता था। वह एक व्यंग्यात्मक, आत्म-आलोचनात्मक प्रतीक था। आज का हिज हाइनेस उस व्यंग्य से मुक्त होकर गंभीर दावे के साथ सामने आता है। बाजार की ब्रांडिंग और विरासत पर्यटन ने राजसी उपाधियों को फिर से 'कूल' बना दिया है। महल होटल बन गए, राजवंश जीवनशैली बन गई और सामंतवाद 'हेरिटेज' में बदल गया।

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के एक इवेंट के प्रचार पोस्टर पर ऐसा ही सम्बोधन अनेकों को बेचैन कर गया जिसमें हिज़ हाईनेस महाराजा ऑफ जयपुर मुख्य अतिथि बताए गये थे। जहां लेखक, पाठक और विचारक बराबरी के धरातल पर संवाद करते हों वहां यदि कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर विशिष्ट बना दिया जाए, तो यह उसे क्या कहा जाए। यह उस व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है जिसमें भारत में 'राज' को नए-नए रूपों में फिर से स्थापित करने का प्रयास किये जा रहे हैं -कभी संस्कृति के नाम पर, कभी परंपरा के नाम पर, और अधिकतर अंग्रेजी के चमकदार शब्दों के सहारे। लोकतंत्र केवल कानून में नहीं, भाषा में भी जीता है। महाराजा पदवी को भारतीय संविधान मान्यता नहीं देता। 1949 में देशी रियासतों के विलय के बाद राजाओं का राज समाप्त हो गयासंविधान को अंगीकार करते हुए हम भारत के लोगों ने सार्वभौम सत्ता अपने हाथ में ली और अपने भाग्य के नियंता खुद बन गये। हम सब भारतीय लोग अब समान हैं। उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। मगर इन समाप्त हो गई पुरानी रियासती उपाधियों का उपयोग पारिवारिक समारोहों तक तो ठीक है, किन्तु पुराने रियासती आदर्शों का संपत्ति, स्टारडम और प्रभाव बनाने के लिए उपयोग होना सवाल पैदा करता है। वास्तव में बाज़ार-आश्रित मीडिया द्वारा ब्रिटिश काल के 'राज' को लुभावने और मोहक रूप में प्रस्तुत करना आज के समय की एक गंभीर वैचारिक समस्या बन गया है। यह प्रवृत्ति इतिहास के पुनर्लेखन से अधिक उसके वाणिज्यिक पुनर्पैकेजिंग का उदाहरण है, जहां बाज़ार की ताकतें उपभोक्ता संस्कृति को सरल, रोमांटिक और दृश्यात्मक कथाओं से बढ़ाती हैं। वह फ़िल्में हों, वेब-सीरीज़ हों, टीवी कार्यक्रम हों, या विज्ञापन हों, लाइफ़स्टाइल पत्रकारिता- ऐसी कहानियां गढ़ती है जिनमें ब्रिटिश राज को भव्य इमारतों, रेलों, क्लबों, शालीन अफ़सरों और 'कानून-व्यवस्था' के प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। इस प्रस्तुति में औपनिवेशिक सत्ता एक एस्थेटिक अनुभव बन जाती है, न कि उत्पीड़न का ऐतिहासिक तथ्य। इक्कीसवीं सदी की पीढ़ी ऐसे भारत में बड़ी हुई है जहां समता वाला संविधान, सार्वभौमिक मताधिकार और औपचारिक लोकतंत्र उसकी रोज़मर्रा की सच्चाई रहे हैं। इस पीढ़ी ने न तो जागीरदारी युग की बेगार देखी है, न ही सामंती अत्याचारों की वह क्रूरता झेली है, जिसने कभी आम-जन को जन्मना शासन की अधीनता में बांध रखा था। इतिहास की यही दूरी आज बाज़ार के लिए अवसर बन गई है। बाज़ार सामंतवाद को उसके यथार्थ रूप में नहीं, बल्कि 'रॉयल', 'हेरिटेज' और 'शाही ठाठ' के आकर्षक आवरण में प्रस्तुत करते हुए इतिहास की हिंसा, शोषण और असमानता को सावधानी से छिपा देता है, ताकि उपभोक्ता चमक-दमक, विरासत और गौरव के भ्रम में पड़ा रहे। राजसी ठाट-बाट की चांदनी तानते हुए राजाओं-रानियों की को ब्रांड एंबेसडर, और सामंती सत्ता को लाइफ़स्टाइल प्रोडक्ट में रूपांतरित किया जाता है। यह बाज़ारी प्रस्तुति केवल उपभोग तक सीमित नहीं रहती। वह सामंती अतीत को लगातार महिमामंडित करके इतिहास के कूड़ेदान में फेंकी जा चुकी रियासती सत्ता की नई पीढ़ियों को प्राकृतिक नेतृत्वकर्ता मानने का अहंकार देने लगती हैं। अब तो वे अपनी सामाजिक हैसियत, नाम और प्रतीकात्मक पूंजी के सहारे लोकतांत्रिक राजनीति में भी प्रवेश करने लगे हैं। चुनावी राजनीति में 'रॉयल' पहचान को अनुभव, परंपरा और स्थिरता के रूप में बेचा जाता है, मानो लोकतंत्र किसी वंशानुगत गुण का विस्तार हो। पूर्व राजाओं और उनकी आज की पीढ़ी को वे सभी संविधान प्रदत्त अधिकार उपलब्ध हैं जो अन्य नागरिकों को मिले हुए हैं। असली खतरा तब पैदा होता है जब बाज़ार और मीडिया मिलकर सामंती मूल्यों को लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के विकल्प के रूप में पेश करने लगते हैं। जब समानता के विचार को 'अराजकता' और वंशानुक्रम को 'प्राकृतिक व्यवस्था' की तरह माना जाने लगता है।

स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस भारत का सपना देखा था, वह ऐसा भारत नहीं था जहां सामंती प्रतीक आधुनिक आयोजनों में सम्मानित हों। उन्होंने ऐसे समाज के लिए संघर्ष किया था जहां सम्मान कर्म से मिले, जन्म से नहीं। आज यदि हम इस फर्क को भूल जाते हैं, तो यह केवल अतीत का नहीं, भविष्य का भी अपमान होगा। यह इतिहास से चयनात्मक स्मृति का भी मामला है।

इक्कीसवीं सदी की चुनौती यही है कि चमकदार इतिहास-प्रस्तुति और वास्तविक इतिहास के बीच के फर्क को समझा जाए। लोकतंत्र स्मृतिहीनता पर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक चेतना पर टिकता है। यदि बाज़ार के बनाए इस 'शाही स्वप्न' को बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया गया, तो यह केवल अतीत का पुनरुत्थान नहीं होगा, बल्कि भविष्य की राजनीति में असमानता और अधिनायकवाद की वापसी का रास्ता भी खुलेगा। आधुनिक भारत केवल अंग्रेजी-भाषी अभिजात वर्ग का अनुभव नहीं है। आधुनिक समझ सहज नहीं होती, बल्कि सवाल खड़े करती है। वह वास्तविक संवाद का अवसर देती है। मगर बाज़ार-आश्रित मीडिया केवल अतीत की गलत व्याख्या नहीं करता है, बल्कि वर्तमान की वैचारिक दिशा को भी प्रभावित करता है। यह दर्शकों को सत्ता, शोषण और इतिहास को उपभोक्ता वस्तु की तरह देखने का आदी बनाता है। मीडिया इतिहास को ग्लैमरके तौर पर प्रस्तुत करता है न कि जवाबदेही और विवेक के साथ। 'राज' की चमक के पीछे छिपी लूट, अपमान और प्रतिरोध को ढक दिया जाता है। यह दृष्टि वही औपनिवेशिक तर्क को दोहराती है कि भारत को 'सभ्य' बनाने के लिए 'राज' आवश्यक था। यह प्रवृत्ति उत्तर-औपनिवेशिक आत्मविश्वास की कमजोरी से भी जुड़ी है। सार्वजनिक समारोहों में किसी को महाराजा, महारानी या हिज़ हाईनेस से सम्बोधन कोई व्यक्तिगत भूल या शिष्टाचार की चूक नहीं है, बल्कि उस मानसिकता का संकेत है जिसमें लोकतंत्र के भीतर सामंतवाद को सांस्कृतिक गौरव के रूप में पुनर्स्थापित किया जा रहा है। यह वही मानसिकता है जो मानती है कि इतिहास के नाम पर उपाधियां, राजसी संबोधन और वंशगत श्रेष्ठता आज भी स्वीकार्य हैं। ग्लैमर और वैश्विक मान्यता का प्रदर्शन बना कर विरासतको एक आधुनिकता सजावटी भ्रम बनाना बाज़ार को खूब आता है। लेकिन लोगों के भीतर एक ज़मीर होता है, जो जानता है कि सच्चाई क्या है और चालबाज़ी क्या है। गांधी का यह विचार और अधिक प्रासंगिक हो जाता है कि सत्ता का मूल्य चमक में नहीं, सेवा में होता है। स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस भारत का सपना देखा था, वह ऐसा भारत नहीं था जहां सामंती प्रतीक आधुनिक आयोजनों में सम्मानित हों। उन्होंने ऐसे समाज के लिए संघर्ष किया था जहां सम्मान कर्म से मिले, जन्म से नहीं। आज यदि हम इस फर्क को भूल जाते हैं, तो यह केवल अतीत का नहीं, भविष्य का भी अपमान होगा। यह इतिहास से चयनात्मक स्मृति का भी मामला है। यह इतिहास के री-पैकेजिंग का प्रयासभी है, जहां राजशाही स्मृति लोकतंत्र की भाषा पहनकर मंच पर आती है। खुली अर्थव्यवस्था ने अतीत को ब्रांड बना दिया है-जहां राजसी विरासत एक बिकाऊ छवि है। यह नये मतदाता-ख़ासकर उस पीढ़ी-को आकर्षित करने की कोशिश है जिसने सामंती यथार्थ नहीं जिया। उसके लिए रॉयल एक रोमांटिक कल्पना है, इतिहास नहीं।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

वीबी-जी राम जी का शंखनाद

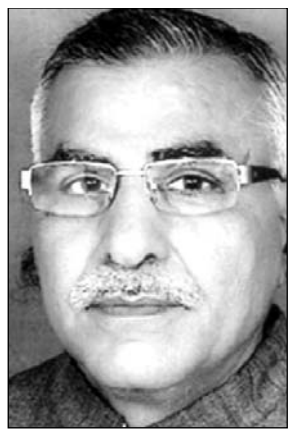

गुलाब बत्रा

भारत के ग्रामीण परिदृश्य में अब राहत के साथ सामर्थ्य और स्थाई संपत्ति के निर्माण का दौर प्रारंभ हो गया है। संसद द्वारा पारित विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 में वर्ष 2047 के विकसित भारत की नींव में रखी गई वह ईंट है, जो गांव, गरीब और किसान को समृद्ध बनाने को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। यह अधिनियम मनरेगा से आगे की यात्रा है। मनरेगा ने दो दशकों तक सुरक्षा तो दी, लेकिन सृजन की गति को आज की वैश्विक और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप अपेक्षित ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाई। किसी भी राष्ट्र की प्रगति तब पूर्ण होती है जब उसकी अंतिम इकाई गांव भी आत्मनिर्भर हो जाए। मनरेगा ने निस्संदेह ग्रामीण संकट के समय एक ढाल का काम किया, लेकिन बदलते समय, जलवायु परिवर्तन के अनिश्चित चक्र और तकनीकी क्रांति ने एक ऐसे ढांचे की मांग की थी जो काम देने के बजाय आजीविका सृजित करने पर केंद्रित हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप, वीबी-जी राम जी अधिनियम ने इसी शून्य को भरने का कार्य किया है। रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना ग्रामीण परिवारों की क्रय शक्ति और उपभोग सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक साहसिक कदम है।

राजस्थान जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले प्रदेश में यह अधिनियम एक वरदान बनकर उभरा है। राज्य में मानसून की अनिश्चितता और कृषि कार्यों की मौसमी प्रकृति के कारण अक्सर किसानों और सरकारी श्रम योजनाओं के बीच एक अदृश्य संघर्ष देखा जाता रहा है। कटाई और बुवाई के समय मजदूरों की कमी किसानों के लिए लागत का संकट पैदा करती थी।

अधिनियम की धारा 7(4) इस संघर्ष का एक मास्टरस्ट्रोक समाधान है। मुख्य कृषि मौसम के दौरान वार्षिक 60 दिनों का कार्य-विराम घोषित करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। यह दर्शाता है कि कानून बनाने वालों ने धरातल की समस्याओं को गहराई से समझा है। यह प्रावधान किसान और मजदूर को प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि एक-दूसरे का सहयोगी बनाता है। रोजगार के 125 दिनों की बढ़ी हुई गारंटी यह सुनिश्चित करती है कि श्रमिक की आय कम न हो, जबकि कृषि क्षेत्र को समय पर श्रम शक्ति उपलब्ध हो सके। यह नीतिगत परिपक्वता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

पत्रकारिता के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रामीण योजनाओं की सबसे बड़ी त्रासदी लीकेज और भ्रष्टाचार रही है। पुराने तंत्र में फर्जी मस्टर रोल और बिचौलियों का बोलबाला लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर रहा था। नए अधिनियम ने डिजिटल आर्किटेक्चर को अनिवार्य कानूनी दर्जा देकर भ्रष्टाचार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश की है।

बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो-टैगिंग और लाइव डैशबोर्ड के माध्यम से अब दिल्ली या जयपुर में बैठा अधिकारी भी दूरदराज के गांव में हो रहे कार्य की वास्तविकता देख सकता है। हालांकि राजस्थान पहले से ही जन-सूचना पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता के मॉडल पर काम कर रहा है, लेकिन अब इस तकनीक-समर्थ निगरानी से कागजी मजदूरों का खेल समाप्त हो जाएगा। यह केवल तकनीक नहीं, बल्कि लोकतंत्र का शुद्धिकरण है।

पुराने ढांचे की एक बड़ी आलोचना यह थी कि इसमें होने वाले कार्य अक्सर मानसून की पहली बारिश में ही बह जाते थे। वीबी-जी राम जी ने इसे बदलते हुए कार्यों को चार ठोस श्रेणियों में विभाजित किया है। इनमें जल सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, आजीविका व संपत्तियां और आपदा तैयारी शामिल हैं। इन श्रेणियों के तहत पश्चिमी राजस्थान के रेतीले धोरों के लिए टांका निर्माण और जोहड़ पुनरुद्धार जल स्वावलंबन के कार्य हों सकेंगे। ग्रामीण हाट और बाजारों को सड़कों से जोड़ना, स्वयं सहायता समूहों के लिए संसाधन केंद्रों का निर्माण और बाढ़ व सूखे से निपटने के लिए स्थाई समाधान जैसे कार्य भी किए जा सकेंगे।

पीएम गति-शक्ति के साथ इस योजना का एकीकरण गांव में बनी एक छोटी सड़क या भंडारण केंद्र राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स ग्रिड का हिस्सा बनना सुनिश्चित करेगा। यह ग्रामीण भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ने की एक प्रभावी शुरुआत है। नए अधिनियम में साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था और 14 दिनों से अधिक की देरी पर स्वत: मुआवजे का प्रावधान नौकरशाही की जवाबदेही तय करता है। यह राजस्थान के उन लाखों श्रमिकों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच है जिनकी रसोई की आग दैनिक या साप्ताहिक मजदूरी से जलती है। प्रशासनिक व्यय की सीमा को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत करने से राज्य सरकारें तकनीक, प्रशिक्षण और बेहतर निगरानी के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवा सकेंगी। यह अतिरिक्त 3 प्रतिशत निवेश, वास्तव में भ्रष्टाचार को रोकने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रीमियम है। लोकतंत्र में सोशल ऑडिट के दर्पण में शासन अपना चेहरा देखता है। हर छह महीने में अनिवार्य ऑडिट, डिजिटल साक्ष्यों की सार्वजनिक उपलब्धता और जिला स्तरीय लोकपाल की व्यवस्था की गई है। साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण की बाध्यता ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच एक नई जवाबदेही पैदा की है।

विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) 2025 ग्रामीण भारत की गरिमा का घोषणापत्र है। यह अधिनियम बताता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास एक कार्ययोजना है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, यह अधिनियम मरूभूमि की चुनौतियों को अवसर में बदलने का सामर्थ्य रखता है। यह रोजगार को दान के बजाय अधिकार और उत्पादकता से जोड़ता है। यह अधिनियम ग्रामीण भारत के आर्थिक क्षितिज पर एक नया सूर्योदय है।

–गुलाब बत्रा, वरिष्ठ पत्रकार

सेवा से संगठन, संगठन से आंदोलन : रोटरी इंटरनेशनल और रोटरी इंडिया की यात्रा

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल

आज जब विश्व स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा और सत्ता-संघर्ष के दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में यदि कोई वैश्विक संगठन निरंतर सेवा, नैतिकता और मानवीय मूल्यों की बात करता दिखाई देता है, तो वह है रोटरी इंटरनेशनल।

रोटरी केवल एक क्लब नहीं, बल्कि बीते एक शताब्दी से अधिक समय में विकसित हुई एक ऐसी सोच है, जिसने यह सिद्ध किया कि समाज-निर्माण के लिए सत्ता नहीं, संवेदनशीलता चाहिए।

एक विचार से वैश्विक आंदोलन तक : रोटरी की शुरुआत वर्ष 1905 में अमेरिका के शिकागो शहर से हुई, जब एक युवा वकील पॉल हैरिस ने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर एक अनौपचारिक समूह बनाया। उद्देश्य था - पेशेवर जीवन की भागदौड़ में खोती जा रही मित्रता, भरोसे और नैतिकता को पुन: स्थापित करना। यही छोटा सा विचार आगे चलकर रोटरी बना - ऐसा मंच, जहाँ लोग पद से नहीं, प्रतिबद्धता से पहचाने जाते हैं। स्वयं से ऊपर सेवा-यह वाक्य केवल नारा नहीं, बल्कि रोटरी की आत्मा है। व्यवसाय, राजनीति और निजी जीवन - हर क्षेत्र में नैतिकता को कसौटी मानने वाला फोर वे टेस्ट रोटरी को विशिष्ट बनाता है।

रोटरी का वैश्विक विस्तार

1905 में एक छोटे क्लब से शुरू हुआ रोटरी संगठन धीरे-धीरे दुनिया भर में फैलता गया। 1910 तक रोटरी अमेरिका के बाहर भी पहुँच चुका था। आज रोटरी 190 देशों में सक्रिय है। 14 लाख से अधिक सदस्य है। 45,000 रोटरी क्लब। रोटरी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, पर्यावरण, गरीबी उन्मूलन और शांति निर्माण जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक योगदान दिया।

भारत में रोटरी की शुरुआत 1929 में हुई। पहला क्लब था - रोटरी क्लब ऑफ कलकत्ता (अब कोलकाता)। उस दौर में भारत ब्रिटिश शासन में था, लेकिन रोटरी का उद्देश्य राजनीति से अलग रहकर समाज सेवा करना था। धीरे-धीरे रोटरी मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और अन्य शहरों में फैलता गया।

स्वतंत्रता के बाद रोटरी इंडिया का विस्तार : 1947 के बाद भारत में रोटरी ने तेज़ी से विकास किया।

रोटरी इंडिया ने खासतौर पर इन क्षेत्रों में काम किया : शिक्षा (स्कूल, छात्रवृत्ति, लाइब्रेरी)। स्वास्थ्य शिविर (नेत्र जांच, रक्तदान, अंगदान)। ग्रामीण विकास। स्वच्छता और पेयजल। महिला सशक्तिकरण। कौशल विकास और रोजगार।

पोलियो उन्मूलन: रोटरी इंडिया की ऐतिहासिक भूमिका

भारत और दुनिया में रोटरी की सबसे बड़ी पहचान बनी - पोलियो उन्मूलन अभियान। रोटरी ने 1985 में पोलियो प्लस अभियान शुरू किया। भारत जैसे विशाल और विविध देश में यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी।

रोटरी इंडिया ने लाखों स्वयंसेवक लगाए। सरकार और डब्लू एच ओ, यूनिसेफ जैसे संगठनों से साझेदारी की दूर-दराज़ गाँवों तक बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दिलवाए। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया, जो रोटरी इंडिया के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि थी।

आज भारत रोटरी का दुनिया का सबसे बड़ा सदस्य देश है। 4,000 क्लब है। 1.5 लाख से अधिक सदस्य।

रोटरी इंडिया आज भी शिक्षा सुधार, डिजिटल साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, युवा नेतृत्व (रोटरेक्ट, इंटरेक्ट), आपदा राहत (भूकंप, बाढ़, कोरोना जैसी आपदाएँ) में सक्रिय भूमिका निभा रही है।

रोटरैक्ट और इंटरैक्ट: युवा शक्ति

- 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए
- स्कूल स्तर के छात्रों के लिए

इनके माध्यम से रोटरी युवा पीढ़ी में नेतृत्व, सेवा और नैतिक मूल्यों का बीज बोती है। रोटरी केवल एक क्लब नहीं, बल्कि एक वैश्विक विचारधारा है। यह मंच देता है -अच्छे इंसान बनने का। समाज के लिए कुछ लौटाने का। और बिना किसी जाति, धर्म, राजनीति के भेदभाव के सेवा करने का। रोटरी इंटरनेशनल ने दुनिया को यह सिखाया कि अगर इरादे नेक हों, तो सेवा से इतिहास बदला जा सकता है। और रोटरी इंडिया ने यह साबित किया कि सेवा भारतीय संस्कारों की आत्मा है। सेवा, समर्पण और संकल्प की मिसाल बना रोटरी क्लब कुशलगढ़

यदि किसी व्यक्ति में कुछ कर गुजरने की प्रबल इच्छा हो और उसे एक उपयुक्त मंच मिल जाए, तो वह अपने जीवन की सीमित मानी जाने वाली क्षमता से कई गुना अधिक कार्य कर सकता है। यद्यपि यह हर परिस्थिति में संभव नहीं होता। कई बार मंच मिलने के बाद भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आज़ादी नहीं दी जाती, जिससे उसकी संभावनाएँ सीमित रह जाती हैं। लेकिन आज बात ऐसे ही किसी अपवाद की है। बात हो रही है राजस्थान के एक सीमांत कस्बे की, जो गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगा हुआ है। लगभग 20,000 की आबादी वाला यह छोटा सा कस्बा कुशलगढ़ आज यह सिद्ध कर रहा है कि इच्छाशक्ति, सामूहिक संकल्प और सही दिशा मिल जाए तो सीमाएँ अपने आप टूट जाती हैं।

यहीं कुछ जागरूक और प्रतिबद्ध लोगों ने मिलकर रोटरी क्लब कुशलगढ़ की स्थापना की। संसाधन सीमित थे, अपेक्षाएँ कम थीं, लेकिन सेवा का भाव प्रबल था। परिणामस्वरूप, इस छोटे से कस्बे में किए गए कार्यों की संख्या और गुणवत्ता दोनों ही यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि सेवा के लिए न तो बड़ा शहर चाहिए और न ही विशाल संसाधन - ज़रूरत होती है तो केवल नीयत और निरंतरता की।

21 अप्रैल 2021 को चार्टर प्राप्त करने वाला यह क्लब (क्लब आइडी - 222494) चार्टर से पहले ही अपनी कार्यसंस्कृति का परिचय दे चुका था। नगर की सबसे बड़ी आवश्यकता को समझते हुए, क्लब ने लगभग 15 लाख रुपये की लागत से एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराकर एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किया।

सुदृढ़ नींव, सक्षम नेतृत्व : क्लब की मजबूत आधारशिला रखने का श्रेय इसके संस्थापक पथिक राजेंद्र मेहता को जाता है। चार्टर प्रेसिडेंट राजेंद्र गादीया और चार्टर सेक्रेटरी धर्मेंद्र कंसारा ने संगठनात्मक ढांचे को मजबूती प्रदान की। वर्तमान सत्र में क्लब का नेतृत्व प्रेसिडेंट रौनक सेठ और सेक्रेटरी अर्पण कटारिया कर रहे हैं, जबकि पूर्व में उत्कृष्ट सेवा देने वाले पास्ट प्रेसिडेंट अर्पण चोपड़ा का योगदान भी उल्लेखनीय रहा है। भविष्य की कमान संभालने के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट यश खाब्या तैयार हैं।

क्लब को निरंतर दिशा देने में मार्गदर्शक मंडल की भूमिका भी अहम रही है, जिसमें मुकेश अग्रवाल, कमलेश कावड़िया, मनोहर कावड़िया, फकरुद्दीन शेख, जितेंद्र राठौर, आशीष नाहटा, नमन सोनी, प्रकाश लबाना, पिंकेश चंडालिया और विपुल जैन जैसे अनुभवी सदस्य शामिल हैं।

स्वास्थ्य सेवा से सामाजिक सुरक्षा तक : स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्लब की भूमिका बहुआयामी रही है। प्रतिवर्ष आयोजित मेडिकल कैंपों में 500 से अधिक ओपीडी का लाभ आमजन को मिलता है। पारुल हॉस्पिटल, बड़ौदा के साथ किए गए एमओयू के माध्यम से मरीजों को 40 प्रतिशत तक बिलिंग में छूट दिलवाई जा रही है। कोरोना काल में संचालित रोटरी ऑक्सीजन बैंक ने नि:शुल्क सेवा देकर अनेक जिंदगियां बचाईं। वहीं, रोटरी उपकरण बैंक के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को चिकित्सा उपकरण नि:शुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए एन्टी ड्रग कैंपेन चलाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों की छात्राओं के लिए नि:शुल्क सेनेटरी नेपकिन वितरण तथा जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए हैप्पी किड्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्टेशनरी किट वितरण जैसे कार्यक्रम शिक्षा को सामाजिक सरोकार से जोड़ते हैं।

क्लब ने सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा जैसे मुद्दों पर प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर और आवश्यकतानुसार आंदोलनों के माध्यम से जनहित की आवाज़ भी बुलंद की है। जल संरक्षण के तहत स्कूलों में रोटरी जल मंदिर, चौराहों पर ठंडे पानी की व्यवस्था और जीव-दया हेतु पानी की टंकियां स्थापित की गई हैं। रक्तदान शिविर, पक्षियों के लिए दाना-पानी स्टैंड, गौ-सेवा के अंतर्गत गो-ग्रास वितरण तथा 2500 से अधिक वृक्षारोपण पर्यावरणीय प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

नगर के सभी प्रवेश - निकास बिंदुओं पर रोटरी साइन बोर्ड लगाकर क्लब ने कुशलगढ़ को एक नई पहचान दी है। रोटरी क्लब कुशलगढ़ आज केवल एक सामाजिक संस्था नहीं, बल्कि सेवा की जीवंत प्रयोगशाला बन चुका है। सीमित संसाधनों के बावजूद निरंतर, प्रभावी और ईमानदार प्रयासों से यह क्लब यह सिद्ध करता है कि कस्बा छोटा हो सकता है, लेकिन संकल्प कभी छोटा नहीं होता। क्लब के पदाधिकारी और सदस्य समाजहित में जो कार्य कर रहे हैं, वे न केवल कुशलगढ़ बल्कि पूरे रोटरी परिवार के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं। मैं तो सभी रोटेरियंस को ये अनुरोध करूँगा की वे सभी रोटरी क्लब कुशलगढ़ से प्रेरणा लेकर अपने क्लबों को भी और बेहतर करने का प्रयास करें।

–रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।

सीएचसी व आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण में खामियां मिली

पावटा, (निसं)। उपखंड अधिकारी पावटा द्वारा मंगलवार को राजनौता स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य एवं महिला-बाल विकास विभाग की व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की गई, जिससे संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप मच गया।

उपखंड अधिकारी पावटा साधना शर्मा ने पीएचसी से क्रमोन्नत सीएचसी में ओपीडी, दवा वितरण कक्ष, प्रसव कक्ष, लैब, साफ-सफाई, मरीजों को दी जा रही सुविधाओं एवं स्टाफ की उपस्थिति की समीक्षा की, जहां 650 प्रकार की दवाईया व 32 प्रकार की जांचें होना पाया गया। दो चिकित्सक नियुक्त पाए गए, जिसमें एक चिकित्सक प्रतिनियुक्ति पर नारायणपुर में कार्यरत है। वहीं सभी स्टाफ उपस्थित पाया गया। सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं, जबकि कई कमियों पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। इसके बाद उपखंड अधिकारी साधना शर्मा ने राजनौता क्षेत्र की आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बच्चों की उपस्थिति, पोषण आहार वितरण, केंद्र की साफ-सफाई, रजिस्टर संधारण तथा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी की जांच की गई। केंद्र पर लापरवाही सामने आने जिसमें कार्यकर्ता व आशा सहयोगिनी अनुपस्थित पाई गई। केवल एक सहायिका उपस्थित मिली व बच्चे नहीं मिले, साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाए ठीक नहीं मिली, जिस पर कड़ी फटकार लगाई गई व बाल विकास अधिकारी पावटा को और आवश्यक कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

वही अन्नपूर्णा रसोई पाथरेड़ी का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें संचालिका एवं कंप्यूटर ऑपरेटर अनुपस्थित मिले व एक कार्यकर्ता उपस्थित मिले। अन्नपूर्णा रसोई में साफ-सफाई व्यवस्था ठीक नहीं मिली। जिसके लिए संबंधित विभाग को लिखा गया। उपखंड अधिकारी साधना शर्मा ने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं एवं आंगनबाड़ी व अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आमजन को बेहतर सुविधाएं देना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें लापरवाही करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 21 जनवरी, 2026

माघ मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, धनिष्ठा नक्षत्र दिन 1:58 तक, व्यतिपात योग सायं 6:58 तक, तैतिलकरण दिन 2:45 तक, चन्द्रमा आज कुम्भ राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-मकर, बुध-मकर, गुरू-मिथुन, शुक्र-मकर, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज राजयोग दिन 1:58 तक है। रवियोग दिन 1:58 से आरम